

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(8)ग्रावि / नरेगा / विविध / 56074 / 2014

जयपुर, दिनांक

21 JUN 2016

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा

अजमेर, बांसवाडा, बारां, बाडमेर, भीलवाडा, चित्तौड़गढ़,
चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झुन्झुनू,
जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द, उदयपुर एवं प्रतापगढ़।

विषय:- अभावग्रस्त घोषित गांवों की ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 50 दिवस का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराए जाने के संबन्ध में।

संदर्भ:- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक जे11018/1/3/
2016 / महात्मा गांधी नरेगा-IV दिनांक 17.06.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान द्वारा खरीफ की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर 19 जिलों के 14487 गांवों के अभावग्रस्त घोषित किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा अभावग्रस्त घोषित गांवों की ग्राम पंचायतों में वर्ष 2016-17 के दौरान 50 दिवस का अतिरिक्त रोजगार महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत उपलब्ध कराए जाने का निर्णय किया गया है।

अतः अभावग्रस्त घोषित गांवों की ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को 50 दिवस का अतिरिक्त रोजगार अर्थात् कुल 150 दिवस तक का रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। कृपया तदनुसार कार्यवाही सम्पादित करते हुए इन ग्राम पंचायतों में मांग के अनुरूप 150 दिवस तक का रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करावे। साथ ही इस संबन्ध में संबंधित ग्राम पंचायतों में दीवार लेखन, फ्लैगस/होर्डिंग तथा अन्य माध्यमों से प्रचार-प्रसार आवश्यक रूप से किया जावे ताकि अधिक से अधिक परिवारों को इसका लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रामीण विकास

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम महात्मा गांधी नरेगा अजमेर, बांसवाडा, बारां, बाडमेर, भीलवाडा, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झुन्झुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द, उदयपुर एवं प्रतापगढ़।
- अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर/बाडमेर।
- रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस